

- अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार रुपैयां डिविशन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख।
 - बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई।
 - टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई।
 - 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे।
 - किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई।
 - मोबाइल फोन और ई-कार सस्ती होंगी।
 - ईवी और मोबाइल की लैथियम आयन बैटरी सस्ती होंगी।
 - एलईडी-एलसीडी टीवी सस्ती होंगी। क्रस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 प्रतिशत की गई।
 - देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा।
 - 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा।
 - शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी।
 - एक लाख अधूरे घर पूरे होंगे, 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडोवर किए जाएंगे।
 - हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा।

लखनऊ और देहरादून से प्रकाशित राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

जनप्रसारण

ਲਖਨਾਤੁ | ਵਾਰੋ: 16 | ਅੰਕ: 111 | ਮੂਲਾਂ: ₹ 3.00/- | ਪੇਜ : 12 | ਦਿਵਾਵਾਰ | 02 ਫਰਵਰੀ, 2025

आम बजाट : 2025



ମଧ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କାନ୍ତ

अब 12 लाख का सालाना कमाई पर कोई भी टेक्स दने की आवश्यकता नहीं

व्यापारियों के लिए ऐलान

- एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी।
 - सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव।
 - 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे।
 - ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे।
 - देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी।
 - नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
 - बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा।
 - सूक्ष्म उदायों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कर्स्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे।
 - पहले वर्ष 10 लाख कर्स्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
 - शहरी स्ट्रीट वैंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।

किसानों के लिए प्रेता

- किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई।
 - देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 1100 जिलों को फायदा होगा।
 - डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन।
 - समुद्री उत्पाद सरस्ते होंगे, कस्टम ड्रायटी 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
 - अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा।
 - बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा।
 - मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा।
 - दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन।
 - पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।
 - कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना। प्रोडक्शन- मार्केटिंग पर फोकस।
 - असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।

लखनऊ और देहरादून से प्रकाशित राष्ट्रीय हिंदू दैनिक

- मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ते होंगी।
 - 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कर्स्टम इयूटी 5 प्रतिशत घटाई।
 - 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेंसिक कर्स इयूटी से बाहर।

इस बजट से बढ़ा बदलाव आएगा: मार्ग
निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राह
मिली है। अब नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम मुद्दे पर
सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देता है।
होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2021-22
पेश किया। इसमें कई तरह को घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई दी
पीएम ने कहा, %हर कोई आपकी प्रशसन कर रहा है, बजट बहुत
अच्छा है। प्रधानमंत्री ने कहा- यह बजट सामान्य नामारिक
विकासित भारत के मिशन को पूरा करने वाला है। ये बजट
इन्वेस्टमेंट, कन्जम्शन को बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री और उनकी टीम
को जनता का बजट बनाने के लिए बधाई देता हूँ।

36 जावन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रोनिक्स सामान और मोबाइल सस्ते होंगे

सरकार न बंगट म कंसर का दवाए सरता करन व
ऐलान किया। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों
कंसर डे केरय सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाईबैशियर
इयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार व
फांकस विहार पर भी दिखा, जहां इसी साल
अवट्टबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं
सीतारमण ने विहार के लिए नेशनल इस्ट्रीटोर्यूट औं
फ्लूट टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया।
राज्य में आईआईटी का विस्तार होगा। मखाना बो
और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे।

क्र. सं.	दृष्टिकोण	टेलर
1	₹10 लाख से ₹4 लाख तक	0%
2	₹4 लाख से ₹8 लाख तक	5%
3	₹8 लाख से ₹12 लाख तक	10%
4	₹12 लाख से ₹16 लाख तक	15%
5	₹16 लाख से ₹20 लाख तक	20%
6	₹20 लाख से ₹24 लाख तक	25%
7	₹24 लाख से ज्यादा	30%

1 रेट से होने वाली इनकम पर टीडीएस छूट दोगुनी।
रेट से होने वाली इनकम पर टीडीएस की सामूहिक
2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई है। यानि
अब 6 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर

टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

2 वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से आय पर दोगुनी छूट वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोर्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। यानी अब ब्याज की इनकम पर वरिष्ठ

नागरकों का 1 लाख रुपए तक का राहत मिलगा।

3 पिछले 4 साल के रिटर्न फाइल कर सकेंगे: पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई है। यानी यदि किसी करदाता ने अपना रिटर्न गलत फाइल किया हो या फाइल करना रह गया हो तो वह अब इस मन्त्री को 4 साल के भट्टरू आदेतेर पिरिंटर फाइल करके

4 दो घर पर मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर
फायदा: बजट में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर¹
टैक्स राहत दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास दो घर हैं और आप दोनों घरों में रहते हैं, तो अब आप दोनों संपत्तियों पर टैक्स का फायदा ले सकेंगे। जबकि पहले टैक्स राहत सिर्फ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में ही मिलती थी।

5 अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिलः सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी। इससे टैक्स सिस्टम को ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसका मकसद टैक्सपेयर्स को बेवजह नोटिस और परेशानियों से बचाना है। इसके साथ ही केवाईसी प्रक्रिया भी आसान की

जाएगा, जिससे बैक और अन्य वित्तीय कामों में कम कागजी झ़िट होगा।

विकसित भारत और प्रधानमंत्री के नए और ऊर्जावान भारत को पूरा करने के संकल्प के लिए है। हर क्षेत्र की प्रोपर ने के बाद नया मैप तैयार किया गया है। यह एक कंप्लीट भारत को आगे ले जाएगा और न केवल भारत को

बाल्क इस विश्वगुरु के रूप में स्थापित करगा।
धिया, केदीय मंत्री

ताख रुपए तक की आय पर कोई संकट नहीं आएगा।
क्षमता देने वालों को बड़ी राहत देने के लिए पीएम मोदी को
संदर्भ है। - **शिवराज सिंह चौहान** केंद्रीय मंत्री

हय हजट बुलेट इंजरी (गोली के घाव) पर बैंड-ऐड लगाने जैसा है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की जरूरत थी, लेकिन यह सरकार वियारों के ममले में दिवालिया है।
-राहुल गांधी
लोकसभा में विपक्ष के नेता

